इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 फरवरी 2019—माघ 13, शक 1940

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2019

क्र. एफ-9-1-2019-सत्रह-मेडि-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपिकवर्गीय (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित) तृतीय श्रेणी सेवा भरती नियम, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 में, उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"(4) उपनियम (1) के खण्ड (क) में अपेक्षित व्यक्तियों की संख्या के बीस प्रतिशत पद उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे जो संविदा आधार पर नियुक्त किये गये हैं किन्तु ऐसे आरक्षण का लाभ केवल एक बार लिया जा सकेगा. इस श्रेणी के अभ्यर्थी समतुल्य या उच्च पद पर संविदा आधार पर की गई सेवा अवधि के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट के हकदार होंगे. यह आयु सीमा आवेदन की तारीख से या पद भरने के लिए जारी विज्ञापन में नियत तारीख को समस्त छूटों को सम्मिलित करते हुए 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी.".

2. अनुसूची—तीन में, अनुक्रमांक 1 में शीर्षक "बहुउद्देशीय कार्यक्रम" के अधीन मद क्रमांक (आ) में कालम क्रमांक (5) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित कालम क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"1. "10+2 शिक्षा पद्धति में (जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिकी के साथ) हायर सेकेण्डरी परीक्षा/12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.

2. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहायक नर्सिंग मिडवाईफ प्रशिक्षण केन्द्र से महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता/सहायक नर्सिंग मिडवाईफ का 2 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए.

3. मध्यप्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल का वैध पंजीयन होना चाहिए.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. सुनहरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2019

क्र. एफ-9-1-2019-सत्रह-मेडि-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-1-2019-सत्रह-मेडि-1 दिनांक 2 फरवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. सुनहरे, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd February 2019

No. F. 9-1-2019-XVII-Medi-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department Non-Ministerial (related to the Directorate of Health Services) Class-III Service Recruitment Rules, 1989, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In Rule 6, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be added, namely:—

"(4) The number of persons requires under clause (a) of sub-rule (1), twenty percent posts shall be reserved for recruitment of the persons who are appointed on contractual basis but such reservation shall be availed only once. The candidates of this category shall be entitled for relaxation in maximum age for the period he has served on contract basis on an equivalent or higer post. This age limit including relaxation shall not be more than 55 years from the date of application or the date fixed in the advertisement issued for filling up the post.".

2. In schedule-III, at serial number 1, under the heading "Multipurpose Programme", at item number (B), for column number (5) and entries relating thereto, the following column number and entries relating thereto, shall be substituted, namely:—

"1. Must have passed Higher Secondary Examination/12th Class Examination in 10+2 Education System (with Biology, chemistry and Physics).

2. Must have passed 2 years Training Course of Female Multipurpose Health Worker/Auxiliary Nursing Midwife from Auxiliary Nursing Midwife Training Centres run by the Government of Madhya Pradesh only.

3. Must have vaild Registration of Madhya Pradesh Nurses Registration Council, Bhopal.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. SUNHARE, Dy Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.